प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज (PMFME योजना)

- फ़ूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत योजना शुरू की है।
- उद्देश्य- फ़ूड प्रोसेसिंग उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा इंडविडुअल माइक्रो एंटरप्राइज की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की गयी।
- 5 साल की अवधि में लागू 2020-21 से 2024-25 तक 10,000 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ लागू हुआ।
- कृषि- प्रोसेसिंग में लगे सहायक समूहों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- उत्पादक संगठन (FPO),
- स्वयं सहायता समूह (SHG),
- उत्पादक सहकारी समितियां अपनी वैल्यू चैन के साथ होंगे।

- 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया।
- 1 लाख SHG सदस्यों की पहचान की गई।
- 203 करोड़ रुपये का सीड कैपिटल फण्ड जुटाया गया है।
- PMFME योजना के लिए नोडल बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और योजनाओं के लिए आधिकारिक प्रमुख भागीदारों के रूप में 15 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फ़ूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट , कुंडली (NIFTEM-K), नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फ़ूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, तंजावुर (NIFTEM-T) विभिन्न उद्यमों को सीखने और ट्रेनिंग सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

योजना के लाभ

- फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्रेन्योर ऋण से जुड़ी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल 35% सब्सिडी के माध्यम से एलिजिबल प्रोजेक्ट को रुपये 10 लाख प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।
- सीड कैपिटल @ रु. 40,000/- प्रति SHG सदस्य वर्किंग कैपिटल और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए दिए जाएंगे।
- FPO/SHG/उत्पादक सहकारी समितियों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 35% का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट दिया जायेगा।
- सूक्ष्म इकाइयों को मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए समर्थन दिया जायेगा।
- SHG, FPO और उत्पादक सहकारी समितियों को इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडहोल्डिंग के लिए समर्थन दिया जायेगा।
- उद्यमों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी।